<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
31.10.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स अमृत फीड्स लिमिटेड (एएफएल), हरीश बागला एवं अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मामले में 23.10.2025 को माननीय मुख्य न्यायाधीश, सिटी सेशन कोर्ट, कोलकाता के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। इसके अलावा, ईडी ने पीएमएलए के तहत 22.10.2025 तारीख के अस्थायी कुर्की आदेश के तहत 10.44 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। उक्त जांच एक बैंक धोखाधड़ी के मामले के संबंध में की गई थी।

ईडी ने कंपनी केस नंबर 04/2024 दिनांक 22/03/2024 में शिकायत के आधार पर जाँच शुरू की, जो एसएफआईओ द्वारा एएफएल, उसकी संबंधित कंपनियों और निदेशकों/प्रवर्तकों के खिलाफ बैंकों के धन को निकालने के लिए दायर की गई थी। एएफएल ने ऋण धन को निकाल लिया और बैंकों को पुनर्भुगतान में चूक कर दी। कंपनी द्वारा प्राप्त ऋण वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में परिवर्तित हो गए थे। बकाया अवधि ऋण राशि 93.62 करोड़ रुपये थी और बकाया नकद क्रेडिट सुविधा 51.06 करोड़ रुपये थी, यानी कुल चूक राशि 144.68 करोड़ रुपये थी। उक्त ऋण एक्सिस बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक से प्राप्त किए गए थे।

ईडी की जाँच में पता चला कि आरोपियों ने कई बैंकों से 144.68 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की, क्योंकि ऋण राशि का उपयोग स्वीकृत उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया था। इसके बजाय, धन को शेल संस्थाओं के जाल के माध्यम से संबंधित संस्थाओं में निवेश, इन संस्थाओं के नाम पर अचल संपत्ति की खरीद और प्रमोटर यानी हरीश बागला और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में उनके निजी उपयोग के लिए धोया और विपथित किया गया। इसके अलावा, ईडी की जाँच में कई कंपनियों के साथ वित्तीय लेनदेन की एक शृंखला सामने आई है जो एएफएल द्वारा उत्पन्न अपराध की कमाई (पीओसी) की परत में शामिल पाई गई हैं। इससे पहले, ईडी ने 26.08.2025, 03.09.2025 और 04.09.2025 को भी तलाशी ली, जिसके दौरान कीमती सामान जब्त कर लिया गया और 5.46 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस फ्रीज कर दिया गया। ईडी ने मेसर्स अमृत फीड्स लिमिटेड के मुख्य प्रमोटर और प्रबंध निदेशक

हरीश बागला को भी 26.08.2025 को गिरफ्तार किया है और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

आगे की जांच जारी है।